राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(15)नियम/डीएलबी/17/12240 जयपुर दिनांक 26/05/17

अधिसूचना

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सपठित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 71, 73, 118, 131, 182, 194, 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299, 306 के अंतर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित करती है।

योजना की अवधि के दौरान उपरोक्त वर्णित धाराओ के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करने तथा मानचित्र अनुमोदन, भू-पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन आदि कार्यो तथा राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय एवं संविदा) नियम, 1974 में मण्डल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्वरित निस्तारण हेतु नगरीय निकायों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

नगर निगम हेतु-

i उपायुक्त (संबंधित)	- अध्यक्ष/संयोजक
ii अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता	- सदस्य
iii उप/सहायक नगर नियोजक	- सदस्य
vi लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार	- सदस्य
v विधि शाखा का संबंधित अधिकारी	- सदस्य

नगर निगम के अतिरिक्त अन्य निकायो हेतु-

i आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी	- अध्यक्ष/संयोजक
ii अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियंता	- सदस्य
iii उप/सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक/ वरिष्ठ प्रारूपकार	- सदस्य
iv लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार	- सदस्य
v विधि शाखा का संबंधित अधिकारी	- सदस्य

कृषि भूमि पर बसी योजनाओं के ले-आउट प्लान नगर नियोजन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदन किये जाने के पश्चात एम्पावर्ड कमेटी में उप/सहायक नगर नियोजक की उपस्थिति आवश्यक नहीं रहेगी। एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जायेंगे। दिनांक 10.07.17 के पश्चात भी इस योजना में दी गई सुविधाएं एवं रियायतें यथावत रहेगी जिसके अन्तर्गत अग्रिम आदेश तक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\5 Adhisuchna docshahzad/Document

Scanned by CamScanner

क्रमांकः प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/17/12241-12705 जयपुर, दिनांकः 26/04/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज
09. स्थान जयपुर
10. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\5.Adhisuchna.docshahzad/Document

Scanned by CamScanner